

प्रारूप-22

परियोजना विवरण :- पन्तगौव-चमडखान शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार(सिमलधार से शैलापानी तक मिलान)

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक / कम्पार्टमेंट / खसरा सं०	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग					योग
					10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	संरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :- वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग :-					—	—	—	—	—	—

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।


 वन अधिकारी
 वन विभाग
 रायचूर
 जिला रायचूर
 जिला रायचूर

वन संरक्षक


 वन संरक्षक
 वन विभाग
 रायचूर
 जिला रायचूर
 जिला रायचूर